संख्या- 4 / 2233 / 33-3-2014-100(23) / 2014

प्रेषक,

एस0पी0सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: सितम्बर : 2014

विषय-राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत 2013-14की स्वीकृत योजना के सापेक्ष अनुदान संख्या-14 में राज्यांश अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4/430/2014-4/34/2014, दिनांक 05 अगस्त, 2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2467/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में उक्त योजनान्तर्गत पूंजीगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2600.00 लाख में से राज्यांश के रूप में रू0 197.3333 लाख (रू0 एक करोड सतान्बे लाख तैतीस हजार तीन सौ तीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है। योजना के संबंध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स /शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराना आपका दायित्व होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014-15 में कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय /उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2467/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निहित शर्तो तथा निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक -4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय -101-पंचायती राज-04-राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान- (के075/रा.25के./रा)- 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस'2008-मित-1/2007, दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) उपरोक्त शर्तो का उल्लंधन किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 प0सं0-ई-2-865 /दस-14, दिनांक 24;09;2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in